प्रकरण संख्या 7/2022 भंवरसिंह बनाम शम्भूसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2023	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पालवास कला तहसील मावली में परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 327, 328, 510 से 521 कुल किता 14 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रार्थी के खातेदारी हक में दर्ज है। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 503 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के नाम संयुक्त खातेदारी में अंकित है। प्रार्थी की परिशिष्ट ''अ'' अंकित भूमियों में आवागमन हेतु 20 फिट का चौडा रास्ता आराजी नंबर 503 (किस्म बंजड) जिस पर ग्राम पंचायत की सी.सी. रोड़ बनी हुई है तथा उक्त रास्ते के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, जिससे होकर प्रार्थी अपने खाते की उपरोक्त भूमियों में आता-जाता है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 9 प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी को अपनी भूमियों पर पहुंचने हेतु आराजी नंबर 503 (किस्म बंजड) जिस पर ग्राम पंचायत की सी. सी. रोड़ बनी हुई है तथा उक्त रास्ते के दोनों ओर मकान बने हुए हैं, 20 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार भूमि की कीमत अदा करने को तैयार है। विपक्षी संख्या 1 से 12 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि आवागमन के लिए हम विपक्षीगण की भूमि में कोई रास्ता नहीं है, न ही रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 21.12.2021 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया एवं तहसीलदार मावली को आदेश दिया कि आराजी नंबर 503 में बनी पक्की सी.सी. रोड़ 15 फिट चौडी व 350 फिट लम्बी जो प्रार्थी के खेत तक जाती है [illegible]या जावे एवं विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी को उक्त मार्ग में आने जाने में बाधा नहीं पहुंचावें। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा [illegible] न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री मनोज कोठारी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वक्त बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उपलब्ध दस्तावेज पर कोई गौर नहीं किया है तथा अपीलान्टगण को बिना सुने एवं बिना रिपोर्ट तलब किये निर्णय पारित किया है, जो न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उक्त आदेश से रास्ते को 20 फिट चौड़ा करने के लिए अपीलान्टगण के मकान एवं देवरों को तोड़ना पडेगा, जिससे अपीलान्टगण भारी क्षति पहुंचेगी। आराजी नंबर 503 अपीलान्ट के खातेदारी की पैत्रृक भूमि है एवं पूर्वजों के समय से उनके मकान बने हुए हैं। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के लिए वैकल्पिक रास्ता आराजी नंबर 358 से आराजी नंबर 506 से होकर कदीमी से उपलब्ध है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। दिनांक 13.04.2022 को पत्रावली न्यायालय हाजा के कैम्प कोर्ट चित्तौड़गढ में प्रस्तुत होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट के निवेदन पर उन्हें स्थगन आदेश पर सुना गया एवं प्रस्तुत दस्तावेज व पत्रावली के अवलोकन पश्चात् न्यायालय हाजा ने तहसीलदार मावली से ग्राम पालवास कला की आराजी नंबर 503 व 506 की मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया। जिस पर तहसीलदार मावली द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 23.11.2022 को मौका रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट अंकित किया है कि ''आराजी नंबर 503 रकबा 0.2995 हैक्टर किस्म बंजड़ होकर 15 फिट चौड़ी एवं 350 फिट लम्बी सी.सी. रोड़ बनी होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

उत्तर दिशा में ग्रामीण सड़क से जुड़ी होकर लोहे की फाटक लगा रखी है। साथ ही दक्षिण दिशा में श्री शम्भूसिंह राजपूत की खातेदारी की आराजी नंबर 516 से जुड़ी होकर सीमा पर 6 फिट उंचाई की पक्की दीवार एवं पक्का चबूतरा बनाया जाकर गणेश जी की प्रतिमा दीवार से सटमा स्थापित की गयी है। आराजी नंबर 506 रकबा 0.7284 हैक्टर किस्म बंजड होकर मौके पर 0.4857 हैक्टर चरी ज्वार फसल खड़ी होकर शेष रकबा पड़त है। मौतबिरानों एवं उपस्थित उभय पक्षकारों द्वारा यह जाहिर किया गया कि आराजी नंबर 516 में आने के लिए पूर्व में आराजी नंबर 506 में से होकर जाते थे। आराजी नंबर 516 में आराजी नंबर 503 में से कोई रास्ता नहीं जाता है। आराजी नंबर 506 की पाली से होते हुए आराजी नंबर 510 की पाली से होते हुए आराजी नंबर 516 में प्रवेश किया जाता है।'' उक्त मौका रिपोट से स्पष्ट है कि प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट को उसके खातेदारी की भूमि पर पहुंचने हेतु पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया है एवं प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र खारिज करने के बावजूद अपीलान्टगण के खाते की आराजी नंबर 503 में रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार मावली को आदेशित कर दिया, जो न्यायालय हाजा द्वारा द्वारा मंगवाई गयी मौका रिपोर्ट से विपरीत है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पुनः तहसीलदार मावली सभी पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय सभी पक्षों को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.03.2023 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:16:27 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर